



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.10.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से 01 चाकू, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड़ का विवरण:- दिनांक 12.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर एक हत्या की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 03 टीमों लगाई गई, पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल तेजी से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो यह खानपुर की तरफ भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम बिलाल निवासी केला गोदाम, थाना अंकुर विहार क्षेत्र का रहने वाला बताया, जो इस मुकदमे का वांछित अभियुक्त था। इसके पास से 01 चाकू, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

बिलाल निवासी केला गोदाम, थाना अंकुर विहार उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 01 चाकू, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध हत्या की घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**गाज़ियाबाद पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई:
पति-पत्नी विवाद के बाद हिंडन बैराज में कूदी महिला को सुरक्षित बाहर
निकालकर जीवन बचाया गया।**

आज दिनांक 14.10.2026 को रात्रि लगभग 01:30 बजे थाना इन्दिरापुरम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत हिंडन बैराज पर एक महिला नदी में कूद गई है। प्राप्त सूचना के आधार थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SDRF टीम एवं परिजनों के सहयोग से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते महिला नाराज़ होकर हिंडन बैराज पहुँची और नदी में कूद गई। महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु यशोदा मेडिसिटी अस्पताल, इन्दिरापुरम में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति सामान्य है।

गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बचाया गया और आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई। यह घटना पुलिस की तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 चाकू बरामद ।

दिनांक 12.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1.बिलाल पुत्र कासिम 2. गुलजार पुत्र कासिम निवासीगण गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद 3. फरमान पुत्र सत्तार निवासी डाबर तालाब लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा वादी के पिता विनोद कुमार गुप्ता की धारदार हथियार से हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इन्पुट के आधार पर घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये ।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. गुलजार पुत्र कासिम निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. फरमान पुत्र सत्तार निवासी डाबर तलाब थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को ए-7 तिराहा की तरफ जाने वाले रास्ते पर थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 चाकू बरामद हुये । उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त गुलजार ने बताया कि मृतक विनोद गुप्ता की दुकान को मैंने व मेरे भाई बिलाल ने किराये पर ले रखा था। मैं उस दुकान में गाड़ी व मोटरसाइकिल की

एसेसरीज बेचता हूँ। बिलाल मेरा सगा भाई व फरमान मेरा चचेरा भाई है। बिलाल ने करीब 02 साल पहले मृतक विनोद गुप्ता से एक प्लॉट करीब 20 लाख रुपये में खरीदा था। तीन चार लाख रुपये की पेमेंट कर दिया था बाकि पैसे शेष रह गये थे इसी बीच बिलाल के पास पैसे की तंगी हो गयी और बिलाल ने शेयर मार्केट में करीब 55 लाख रुपये लगाये थे जो सभी डूब गये थे तथा 3/4 दिन पहले कशीनो में भी डेढ़ दो लाख रुपये हार गया था। बिलाल आर्थिक तंगी में था तथा विनोद गुप्ता लगातार बिलाल पर पैसे का तगादा कर रहा था जिससे बिलाल काफी परेशान था तब उसने मुझे व फरमान को अपनी परेशानी बतायी और हम तीनों ने मिलकर विनोद गुप्ता को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और दिनांक 11.10.2026 को रात्रि के समय हम तीनों ने विनोद गुप्ता को पैसे देने के बहाने घर से

बुलाया उसके उपरान्त बिलाल ने विनोद गुप्ता से कहा कि एक आदमी पैसे लेकर आ रहा है वह आदमी हमें ग्राम मण्डोला की तरफ मिलेगा। हम सभी ने विनोद गुप्ता को पूर्ण विश्वास में लेकर सोनू ढाबे के पीछे की तरफ पंचलोक के गडढे/जंगल की तरफ चलने लगे तो विनोद गुप्ता को कुछ शक हुआ इसी दौरान मेरी, बिलाल व विनोद गुप्ता की आपस में झड़प होने लगी, बिलाल ने एकदम पहले से लिये छूरे से विनोद गुप्ता के गले पर वार कर दिया, वह लहलूहान हो गया। छीना झपटी में बिलाल के होठ पर चाकू लग गया था। उसके बाद हम तीनों ने अपने हाथ में लिये चाकू/छूरे से विनोद गुप्ता के पेट में एक एक वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी और हम तीनों लोग वहां से भाग आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गुलजार पुत्र कासिम निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. फरमान पुत्र सत्तार निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आलाकल 02 चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रॉनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पेशेवर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 01 क्रेटा कार, 04 फर्जी नम्बर प्लेट, 03 चोरी की मोटरसाईकल (रॉयल इन्फील्ड बुलेट) एवं घटना कारित करने में उपयोग में लाये जाने वाले औजार बरामद।

दिनांक 13.10.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0357/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरीशुदा वाहन की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मेरठ तिराहे के पास से अभियुक्त आबिद पुत्र सब्बीर निवासी ग्राम पंजी सराय, थाना नौगांवा देहात, जनपद अमरोहा, उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 सफेद रंग की क्रेटा कार, 04 नम्बर प्लेट तथा वाहन

चोरी में प्रयुक्त 02 एलैन्की (मास्टर-की), 01 पेचकस, 01 डबल टेप, 01 वायर कटर एवं 01 पेपर कटर बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने दो साथियों **1. भंता उर्फ इकरार उर्फ नाजिम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम आदमपुर थाना आदमपुर जिला अमरोहा 2. साजिद पुत्र अनवार निवासी ग्राम मिलक पापडी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा** के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर हिंडन नदी के पास कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों से चोरी की 03 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में बरामद क्रेटा कार थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से चोरी होना तथा बरामद एक बुलेट मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना शाहदरा, दिल्ली में अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त को मु0अ0सं0 0357/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की गयी तो दिल्ली, कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य पड़ोसी जनपदों में गैंगस्टर सहित लूट, चोरी व अन्य धाराओं में 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आबिद पुत्र सब्बीर निवासी ग्राम पंजी सराय थाना नौगांवा देहात जनपद अमरोहा, उम्र करीब 34 वर्ष

वाँछित अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. भंता उर्फ इकरार उर्फ नाजिम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम आदमपुर थाना आदमपुर जिला अमरोहा
2. साजिद पुत्र अनवार निवासी ग्राम मिलक पापडी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आबिद के विरुद्ध दिल्ली व जनपद गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद में गैंगस्टर अधि0, लूट, चोरी, अवैध शस्त्र, आदि के 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-01 अदद चोरी की क्रेटा कार सफेद रंग
- 2-04 अदद फर्जी नम्बर प्लेट
- 3- 03 अदद चोरी की रॉयल इन्फिल्ड बुलेट मोटरसाइकिल
- 4-02 अदद एलैन्की(मास्टरकी)
- 5-01 अदद पेचकस
- 6- 01 अदद वायर कटर
- 7- 01 अदद पेपर कटर
- 8-01 अदद डबल टेप

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान लूट/चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध 02 देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू तथा 01 मोटरसाइकिल मय 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

आज दिनांक 14.10.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट/चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों 1.मुस्तकीम पुत्र यामीन निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी, मेरठ 2.परवेज पुत्र आबिद निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी, मेरठ 3.अब्दुल पुत्र यामीन निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी, मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध 02 देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू तथा 01 मोटरसाइकिल मय 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद जिसके संबंध में थाना मसूरी पर धारा- 312/313/345(3)/3(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम लोग मौका पाकर घरों से चोरी व मोटरसाइकिल का नं0 बदलकर सुनसान जगह/रोड़ पर निकलने वाले लोगों से तमंचा व चाकू का भय दिखाकर फोन आदि छीनने की घटना कारित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1.मुस्तकीम पुत्र यामीन निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी मेरठ, उम्र 20 वर्ष
- 2.परवेज पुत्र आबिद निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी मेरठ, उम्र 19 वर्ष
- 3.अब्दुल पुत्र यामीन निवासी महफा चोपला शिवालखास जानी मेरठ, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से अवैध 02 देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू तथा 01 मोटरसाइकिल मय 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस'

आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **14.10.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक **14.10.2026** को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	64
2.	ट्रांस हिण्डन	68
3.	ग्रामीण	73
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		205

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त

हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 01 किलो 402 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 3000 रुपये नगद बरामद।

दिनांक 13.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त कैफ पुत्र शरीप निवासी जे जे कालोनी कजावल दिल्ली मूल पता ऐसान होटल के पास मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को जल प्लान्ट रोड बिजली घर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 402 ग्राम अवैध गांजा व गांजे की बिक्री के 3000/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं दिल्ली से कम दामो पर गांजा लेकर आता हूँ जिसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स, सुदामापुरी व बिहारीपुरा के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले लोगो को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कैफ पुत्र शरीप निवासी जे जे कालोनी कजावल दिल्ली मूल पता ऐसान होटल के पास मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01 किलो 402 ग्राम अवैध गांजा तथा बिक्री के 3000/- रुपये

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर गाजियाबाद पर 01 अभियोग आबकारी अधि0 से सम्बन्धित कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।